

## कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

E-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com; Fax/☎ 05964-225234

पत्रांक:- 7455 /12-1 दिनांक, पिथौरागढ़, अप्रैल, 2026।

4/5/26

सेवा में,

वन संरक्षक,  
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,  
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

**विषय :** जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा गंगोलीहाट में रीठा रैतोली से मुवानी मोटर मार्ग लम्बाई 5 किमी0 के निर्माण हेतु 1.89 हे0 वनभूमि का लोक निर्माण विभाग के सम्बन्ध में (Online proposal No. FP/UK/ROAD/ 43777/2020)।

**सन्दर्भ:** भारत सरकार का पत्रांक 8वीं/यू0सी0पी0/06/09/2019/एफ0सी0/1056 दि0 23-12-2024।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक 2055/12-1 दिनांक 13.10.2025 व पत्रांक 7067/12-1 दिनांक 30.05.2025 द्वारा आख्या पूर्व में मय संलग्नक प्रेषित की जा चुकी है। पुनः बिन्दुवार आख्या प्रश्नोत्तर रूप में निम्नवत् प्रेषित है:-

S.NO.	आपत्ति	उत्तर
1	As per this office EDS dated 21-11-2024, there was some violation of FCA, 1980. In this regard, the state government of Uttarakhand submitted that the governor, Uttarakhand was withdrawal the notification No. 869F/638 dated 17-10-1893 under Indian forest act 1878 as per state notification dated 28-09-2011 and hence was some construction activity has been done by user agency. In this regard, this office has already issued letter dated 08-01-2024 that such de-reservation is a violation of van (sanrakshan & sarvardhan) adhiniyam 1980. Comments from state government is required to be submitted.	अवगत कराना है कि वन एवं पर्यावरण अनुभाग-3 सं0 866/-3-2011/8(21)/2010 दिनांक 28.09.2011 द्वारा जारी अधिसूचना द्वारा अधिसूचना सं0 869/एफ/638 दिनांक 17.10.1893 को विखण्डित किया गया है, जिसके अनुसार जिलाधिकारी पिथौरागढ़ के आदेश सं0 395/सात-8/2017-18 दिनांक 29.11.2017 के क्रम में प्रस्तावक विभाग द्वारा अग्रोत्तर कार्यवाही की गयी है। उक्त आख्या इस कार्यालय के पत्रांक 7612/12-1 दिनांक 13.05.2024 द्वारा पूर्व में भी प्रेषित की गयी है, जो कि पूर्व में भी प्रेषित की जा चुकी है।
2	As per DSS Analysis, the proposed diversion area comes to 0.50 hectare instead of 1.89 hectare.	प्रस्तावित मोटर मार्ग समरेखन की के0एम0एल0 फाईल प्रस्तावक विभाग द्वारा अपडेट कर दी गयी है। प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित समरेखन का कुल क्षेत्रफल 4.5 हे0 है, जिसमें से 2.61 हे0 नाप भूमि है व शेष 1.89 हे0 वन भूमि है, जिस हेतु 1.89 हे0 वन भूमि हस्तांतरण का प्रस्ताव ऑनलाईन अपलोड किया गया है।
3	Alternative alignment of road is not submitted. State government is requested to submit the details of alternate alignment.	सड़क के वैकल्पिक समरेखन का विवरण संलग्न कर पूर्व में प्रेषित कर दिया गया है।

4	It is found that CA scheme is for only 3 years has been submitted. It shall be revised by DFO as per current rules and upload at designated place.	संशोधित सी0ए0 स्कीम पोर्टल में अपलोड कर दी गयी है ।
5	A proper SIR of DFO in revised formant is required to be submitted.	प्रभागीय वनाधिकारी की निरीक्षण आख्या नवीन प्रारूप में संलग्न कर पूर्व में प्रेषित की जा चुकी है।

अतः उपरोक्तानुसार पुनः आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित हैं।

भवदीय,

(आशुतोष सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी,  
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

संख्या:- /12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि:- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

(आशुतोष सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी,  
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

# कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

E-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com; Fax/☎ 05964-225234

पत्रांक:- 7067 / 12-1 दिनांक, पिथौरागढ़, 30 मई, 2025।

सेवा में,

वन संरक्षक,  
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,  
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

**विषय :** जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा गंगोलीहाट में रीठा रैतोली से मुवानी मोटर मार्ग लम्बाई 5 किमी0 के निर्माण हेतु 1.89 हे0 वनभूमि का लोक निर्माण विभाग के सम्बन्ध में (Online proposal No. FP/UK/ROAD/ 43777/2020)।

**सन्दर्भ:** भारत सरकार का पत्रांक 8वीं/यू0सी0पी0/06/09/2019/एफ0सी0/1056 दि0 23-12-2024।


महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रस्ताव में उच्च स्तर से उल्लिखित कमियों का निराकरण कर आख्या बिन्दुवार निम्नवत् प्रेषित है:-

S.NO.	आपत्ति	उत्तर
1	As per this office EDS dated 21-11-2024, there was some violation of FCA, 1980. In this regard, the state government of Uttarakhand submitted that the governor, Uttarakhand was withdrawal the notification No. 869F/638 dated 17-10-1893 under Indian forest act 1878 as per state notification dated 28-09-2011 and hence was some construction activity has been done by user agency. In this regard, this office has already issued letter dated 08-01-2024 that such de-reservation is a violation of van (sanrakshan & sarvardhan) adhiniyam 1980. Comments from state government is required to be submitted.	अवगत कराना है कि वन एवं पर्यावरण अनुभाग-3 सं0 866/-3-2011/8(21)/2010 दिनांक 28.09.2011 द्वारा जारी अधिसूचना द्वारा अधिसूचना सं0 869/एफ/638 दिनांक 17.10.1893 को विखण्डित किया गया है, जिसके अनुसार जिलाधिकारी पिथौरागढ़ के आदेश सं0 395/सात-8/2017-18 दिनांक 29.11.2017 के क्रम में प्रस्तावक विभाग द्वारा अग्रेत्तर कार्यवाही की गयी है। उक्त आख्या इस कार्यालय के पत्रांक 7612/12-1 दिनांक 13.05.2024 द्वारा पूर्व में भी प्रेषित की गयी है, जो कि पुनः संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
2	As per DSS Analysis, the proposed diversion area comes to 0.50 hectare instead of 1.89 hectare.	प्रस्तावित मोटर मार्ग समरेखन की के0एम0एल0 फाईल प्रस्तावक विभाग द्वारा अपडेट कर दी गयी है। प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित समरेखन का कुल क्षेत्रफल 4.5 हे0 है, जिसमें से 2.61 हे0 नाप भूमि है व शेष 1.89 हे0 वन भूमि है, जिस हेतु 1.89 हे0 वन भूमि हस्तांतरण का प्रस्ताव ऑनलाईन अपलोड किया गया है।
3	Alternative alignment of road is not submitted. State government is requested to submit the details of alternate alignment.	सड़क के वैकल्पिक समरेखन का विवरण संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

4	It is found that CA scheme is for only 3 years has been submitted. It shall be revised by DFO as per current rules and upload at designated place.	संशोधित सी0ए0 स्कीम पोर्टल में अपलोड कर दी गयी है तथा संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
5	A proper SIR of DFO in revised formant is required to be submitted.	प्रभागीय वनाधिकारी की निरीक्षण आख्या नवीन प्रारूप में संलग्न कर प्रेषित है।

अतः उपरोक्तानुसार आवश्यक प्रपत्र 04 प्रतियों में संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित हैं।  
संलग्न:- यथोक्त।

भवदीय,  
  
(आशुतोष सिंह)  
प्रभागीय वनाधिकारी,  
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

परियोजना का नाम:- जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा गंगोलीहाट में रीठा रैतोली से मुवानी मोटर मार्ग लम्बाई 5 किमी० के निर्माण हेतु 1.89 है० वनभूमि का लोक निर्माण विभाग के सम्बन्ध में (Online proposal No. FP/UK/ROAD/ 43777/2020)।

Check list for site inspection by the DFO

Sl.No.	Particular	Comments of Inspecting Officer
1	Extent in hectares	1.89 hectare
2	Location (Lat-long) of the forest land proposed for diversion.	Start Point - 29° 44' 47.70" N 80° 07' 26.7" E End Point - 29° 44' 13.00" N 80° 07' 40.65" E
3	Legal status of the forest land(PF/RF/other types of forest land)	Civil soyam Land- 1.17 ha & Van Panchayat- 0.72 ha.
4	Demarcation of the area with temporary cairns etc.	-
5	Any signs of encroachment.	No
6	Any activity already taken up within the forest land or adjoining non-forest land as part of the proposed project by the User Agency. Details of action taken against the User Agency in case of violation of the FC Act and guidelines there under.	No
7	Status of vegetation. Site quality, species composition etc.	Mango, Queral, kukat etc
8	Importance of area from wildlife point of view. Status of wildlife (density and abundance of important species, bird life reptiles, butterflies and other scheduled animals, any endangered wildlife). Any latest census of wildlife in this area.	-
9	Endemism of flora/fauna or any other unique ecosystem in the area.	-
10	Current land use is this area managed as per prescriptions in the Working Plan and if not why?	Van Panchayt & civil soyam land.
11	Importance of the area from historical or religious point of view.	There is no historical or religious structure present in the proposed land. A certificate is attached regarding it by the user agency.
12	Any dependent persons/families on this land.	No
13	Any displacement of persons proposed.	No
14	Is there any Rehabilitation and Resettlement Plan for the persons to be affected? Is there any dissenting voice among the persons proposed to be	No


	displaced?	
15	Compensatory afforestation proposed is on forest or non-forest land. Location of this area, suitability of the area for CA. If in the degraded forest land then what is the current Working Plan prescription for the area? Distance of the non-forest land for CA from the nearest forest area. Number of patches in case the area should be more than to kms.	Compensatory Afforestation is proposed. Toposheet Map & suitability certificate of proposed CA area is attached with the proposal.
16	Proposed area should not be part of any protected area. Also distance from the boundary of the nearest protected area should be more than 10 Kms. area.	The proposed area is not a part of any Protected area. And it is beyond 10 km from Askot wild life sanctuary.
17	Dependence of tribals in the area. Whether the rights of the tribals have been recognized in this area.	There is no dependence of tribals in the proposed area.
18	Utility of the project, including the people living in close vicinity of the project.	About 600 villagers of Retoli, Mayal & Gurna village will get benefitted from the proposed road.
19	In case of renewal whether all the conditions stipulated in the earlier sanction order have been complied with.	-
20	Alternatives examined by the User Agency in case of non-site specific projects.	Alternative alignment is attached with the proposal.
21	A certificate by the User Agency that the forest land requested for diversion for non- forestry purpose is bare minimum.	Yes, Certificate is attached by the User Agency.
22	Any scope of saving tree growth while ensuring that the purpose for which the forest land is being diverted is also not adversely affected.	CA scheme of 3.78 ha is attached with the proposal.
23	Any other issue of significance.	-
24	Specific recommendations of the DFO with reasons for the approval of the Project.	This project is recommended in public interest.

Signature

Name

Designation

Seal

-   
- Ashutosh Singh  
प्रभारवाय वन अधिकारी  
- Divisional Forest Officer  
पिथौरागढ़ वन प्रभाग  
पिथौरागढ़

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

E-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com, Fax/☎ 05964-225234

पत्रांक: 2055/12-1 दिनांक, पिथौरागढ़, 13 अक्टूबर, 2025।

सेवा में,

वन संरक्षक,  
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,  
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

**विषय :** जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा गंगोलीहाट में रीठा रैतोली से मुवानी मोटर मार्ग लम्बाई 5 किमी० के निर्माण हेतु 1.89 है० वनभूमि का लोक निर्माण विभाग के सम्बन्ध में (Online proposal No. FP/UK/ROAD/43777/2020)।

**सन्दर्भ:-** प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, देहरादून का पत्रांक 85/12-1 देहरादून दि० 10.07.2025 व भारत सरकार का पत्रांक 8वी/यू०सी०पी०/०६/०९/२०१९/एफ०सी०/१०५६ दि० 23-12-2024।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रस्ताव में उच्च स्तर से उल्लेखित कमियों का निराकरण कर आख्या निम्नवत् प्रेषित है:-

क्र०सं०	आपत्ति	आख्या
1.	भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र द्वारा चाही गयी सूचना वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा के पत्र दिनांक 16.06.2025 के साथ संलग्न आपका पत्र दिनांक 30.05.2025 के द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी है। उक्त के बिन्दु सं० 04 के क्रम में वृक्षारोपण की 10 वर्षीय वृक्षारोपण योजना नई प्रचलित दरों (वित्तीय वर्ष 2025-26) के अनुसार तैयार कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।	विषयांकित प्रकरण में प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड महोदय द्वारा माह मार्च, 2025 में निर्गत ओदशों के क्रम में संशोधित दरों के अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण के 10 वर्षों की वृक्षारोपण योजना तैयार कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

अतः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्न:- यथोक्त।

भवदीय,

(आशुतोष सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी,  
पिथौरागढ़ वन प्रभाग पिथौरागढ़।

संख्या:- /12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि:- प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून को उनके सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

(आशुतोष सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी,  
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।